फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

सिलोचना बनाम श्यामलाल वगै0

किस्म मुकदमा धारा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. मुकदमा न0 244/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.12.2020	आज यह प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। तलबी अप्रार्थीगण प्रस्तुत तलवाने पर जरिये नोटिस नकल प्रार्थना पत्र भेजकर की जावे। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र के विचारणीय बिन्दुओं पर अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनने से प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि ख.नं. 69, 72 कुल रकबा 4.8200है0 वाके मौजा रायला में प्रार्थिया के हिस्से तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखें। आदेश 39 रूल 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित हो। मिसल आयन्दा वास्ते तलबी अप्रार्थीगण हेतु दिनांक 16.02.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	
15/01/21	दावा में वादीया द्वारा नोट प्रेस का प्रार्थना पत्र पेश होने से दावा नोट प्रेस मे खारिज हो चुका है इस कारण प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा चलाये जाने का कोई औचित्य नही रहा इस कारण प्रार्थना पत्र आवेदिका का अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	Not Press [illegible] Identify [illegible]

Scanned with CamScanner